

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 अगस्त 2024—श्रावण 30, शक 1946

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024

क्र. 7064-1929873-2024-बी-4-दो.—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् तथा सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम, 5 के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, ऑनलाइन चरित्र सत्यापन एवं पुलिस भर्ती के प्रयोजन से, स्वैच्छिक आधार पर, आधार अधिप्रमाणन सेवाएं प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश पुलिस को प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, पुलिस विभाग, केन्द्र सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत आधार अधिप्रमाणन के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करेगा.

No. 7064-1929873-2024-B-4-II.—In Exercise of the powers conferred by Sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), after being authorized by the Central Government and as per the provisions of Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Government of Madhya Pradesh, hereby, authorizes the Madhya Pradesh Police to voluntarily obtain Aadhaar authentication services for the purpose of online character verification and Police recruitment.

2. The Government of Madhya Pradesh, Police Department, shall adhere to the guidelines related to the use of Aadhaar authentication as authorized by the Central Government.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ओमप्रकाश श्रीवास्तव, सचिव.